न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 114 / 2023 दायरा दिनांक 17.10.2023

GCMS CASE NO- 2023/114

जसवन्त गौदारा (जसवन्तसिंह) पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन रामपुरान्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

(उत्तरवादी)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. शीशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः–17.11.2023

यह अपील तहसीलदार (राजस्व) तहसील सूरतगढ के प्रकरण संख्या 56 / 2023 अनवान सरकार बनाम जसवनसिंह में पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया कि अपीलान्ट का चक 1 आर.एम. के पत्थर नं. 100 / 308 के किला नं. 20–21 / 0.506 है0 व पत्थर नं. 101 / 308 के किला न 16 ता 18 व 23 ता 25 के 1.518 है0 इस प्रकार कुल 2.024 है0 रकबा पर पुरानी कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में इस रकबा पर अपीलाट के पिता का कब्जा काश्त था व अपीलाट के पिता के फौत होने के बाद इस रकबा पर अपीलाट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाट के पिता की इस रकबा को मिडियम पेच मे आवंटन हेतु पत्रावली जैरकार थी, परन्तु अपीलाट के पिता के जीवनकाल में इस रकबा को को आवंटन नही किया जबकि जोहड़ पायतन का रकबा उपनिवेशन अधिनियम में सामान्य आवंटन से चार गुणा राशी, इस प्रकार स्मालपेच / मिडियम पेच मे डी.एल.सी. रेट के चार गुणा राशी लेकर आवंटन किया जाने का प्रावधान है, आज तक आवंटन नहीं किया बल्कि पत्रावली मे रिपोर्ट मंगवा रखी है व अब मातहत न्यायालय ने अपीलाट की पीठ के पीछे पटवार हल्का रामपुरा न्यौला के चक 1 आर.एम. के पत्थर नं. 100 / 308 के किला नं. 20–21 / 0.506 है 0 व पत्थर नं. 101 / 308 के किला न 16 ता 18 व 23 ता 25 के 1.518 है0 इस प्रकार कुल 2.024 है0 रकबा की नाजायज काश्त की कार्यवाही करके दिनांक 04.10.2023 को अपीलाट को तलबी का आदेश दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खड़ी फसल कुर्क करने का आदेश दे दिया। जैरअपील आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये व बिना किसी सूचना दिये पूर्णतया एकतरफा तौर पर फसल कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये हैं जो कि अपने आप मे अन्तिम निर्णय की श्रेणी में ही आता है, तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व उच्च न्यायालय एव उच्चतम न्यायालय के निर्णयो के अनुसार पक्षकारान को सुनकर निर्णय करना ही, न्यायोचित निर्णय की श्रेणी मे आता है, इसलिये जैर अपील आदेश काबिल निरस्ती के है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शीशपाल शर्मा हाजिर आये तथा पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 17.10.2023 के सं[illegible] मिसल किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट [illegible] अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मा[illegible] 56 / 2023 अनवान सरकार बनाम जसवन्त सिंह में अपीलाट की पी[illegible] न्यौला के चक 1 आर.एम. के पत्थर नं. 100 / 308 के किला नं. 20–21 / 0.506 है0 व पत्थर नं. 101 / 308 के किला न 16 ता 18 व 23 ता 25 के 1.518 है0 इस प्रकार कुल 2.024 है0 रकबा की नाजायज काश्त की कार्यवाही करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 04.10.2023 को अपीलांट को तलबी का आदेश दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खडी फसल कुर्क करने का आदेश दे दिया। जैरअपील आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये व बिना किसी सूचना दिये पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्ती योग्य है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत रकबा तहसील सूरतगढ के चक 1 आर एम. के पत्थर नं. 100/308 के किला नं 20–21/0 506 है0 व पत्थर नं 101/308 के किला न 16 ता 18 व 23 ता 25 के 1.518 है0 इस प्रकार कुल 2.024 है0 मुताबिक **जमाबंदी जोहड़ पायतन** दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा पर अतिक्रमी जसवंत सिंह पुत्र ओमप्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर फसल काश्त करने के क ारण पटवारी हल्का रामपुरा न्यौला द्वारा अवैध काश्त की रिपोर्ट के आधार पर धारा 22 की कार्यवाही करते हुए दिनांक 04.10.2023 द्वारा फसल जब्ती के आदेश दिये गये थे, जिसकी पालना में पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 16. 10.2023 को फसल जब्त की जाकर फर्द जब्ती प्रस्तुत की गई। जिस पर अतिक्रमी जसवंत सिंह द्वारा श्रीमान जी के न्यायालय में जैरअपील प्रस्तुत करने पर श्रीमानजी के आदेश दिनांक 17.10.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2023 की क्रियान्विति स्थगित रखते हुए राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में इस न्यायालय (तहसीलदार, सूरतगढ़) के आदेश दिनांक 04.10.2023 की क्रियान्विति अर्थात फसल जब्ती की कार्यवाही दिनांक 16. 10.2023 को की जा चुकी है, एवं श्रीमानजी द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 17.10.2023 को पारित किये गये है। जब्त फसल नियमानुसार नीलाम की जाकर राशि राजकोष में जमा कराई जानी है, जो श्रीमानजी के स्थगनादेश के प्रभावी रहते हुए संभव नहीं है। उक्त रकबा मुताबिक जमाबंदी चालू जोहड़ पायतन दर्ज है तथा आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(2) के तहत इस प्रकृति के भूमि की खातेदारी नहीं दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। उक्त अनवानी प्रकरण में जैरकार रकबा बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डीबी सिविल रिट नं. 11440/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 की पालना में प्रकरण श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी बैठक में विचाराधीन है तथा माननीय उच्चतन न्यायालय द्वारा भी उक्त प्रकृति की भूमि अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु समय–समय पर आदेश पारित किये गये हैं। अतः विधिनुसार प्रकरण में प्रश्नगत रकबा आवंटन योग्य नहीं है तथा ना ही खातेदारी अधिकार देने योग्य है और प्रकरण में फसल जब्ती की कार्यवाही की जा चुकी है और नीलाम नहीं करने पर राज्य हित को हानि संभावित है। अतः निवेदन है कि जैरअपील रकबा के संबंध में उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर गौर फरमाते हुए न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17.10.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के प्रार्थना–पत्र का गंभीरता से अवलोकन, मनन, चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के प्रार्थना–पत्र व संलग्न चालू जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि जैर अपील रकबा जोहड़ पायतन दर्ज है तथा आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(2) के तहत इस प्रकृति की भूमि की खातेदारी नहीं दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। अत जैर अपील रकबा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जोहड पायतन दर्ज होने, विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्यभूत नहीं होने, जब्त फसल खराब होने से राज्य हित को हानि होने तथा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार पीएलपीसी में जैरकार होने के कारण, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की नियमविरूद्ध कार्यवाही की जानी प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2023 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:28 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner